न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
348/2023	10.10.2023	11.03.2024

उनवान

1. रामचन्द्र कुमावत पिता गिरधारी कुमावत उम्र 58 वर्ष निवासी 154 मित्र नगर जयपुर राजस्थान
2. मु0 डाली पत्नी गिरधारी कुमावत उम्र 78 वर्ष निवासी कारोई कलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. बालू पिता गिरधारी कुमावत उम्र 62 वर्ष निवासी कारोई कलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगी लाल कुमावत पिता नन्दा कुमावत उम्र 70 वर्ष निवासी केसरपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी किशन लाल कुमावत
अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: <u>निर्णय</u> :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा केसरपुरा प0ह0 सेथूरिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 160 की अभिलिखित आराजियात 230 कुल किता 01 कुल रकबा 0.7713 हैक्टेयर, खाता संख्या 158 की अभिलिखित आराजियात 234 कुल किता 01 कुल रकबा 0.7840 हैक्टयर व खाता संख्या 162 की आराजी नम्बर 80 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5058 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में ंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र न्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ौजा केसरपुरा प0ह0 सेथूरिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारोईकलां तहसील व जिला ीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 160 की अभिलिखित आराजियात 30 कुल किता 01 कुल रकबा 0.7713 हैक्टेयर, खाता संख्या 158 की अभिलिखित ाराजियात 234 कुल किता 01 कुल रकबा 0.7840 हैक्टयर व खाता संख्या 162 की आराजी म्बर 80 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व रिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में ाशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की ार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर ीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क र मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया ाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा मिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में ाजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति अभिनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा